झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1 स्था० विविध (राजपत्रित) 06/2023 प०पा०/...628/**राँची, दिनांक**–11/05/23
डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह, अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी के विरूद्ध वित्तीय शक्ति के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार आदि के गंभीर आरोप खूँटी जिला अन्तर्गत पदस्थापित पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों से प्राप्त है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी द्वारा डॉ० सिंह पर लगे आरोपों की पुष्टि की गयी है एवं विभागीय कार्य में इनकी स्वेच्छाचारिता प्रतिवेदित किया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि डॉ० सिंह द्वारा पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में अपने वित्तीय शक्ति का दुरूपयोग किया गया है एवं वेतन भुगतान हेतु उनके द्वारा अवैध राशि की वसूली भी की जाती है।

निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची द्वारा डॉ० सिंह को निलम्बित करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त क्रम में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 की कण्डिका–9.1 के आलोक में डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह, अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जिला पशुपालन कार्यालय, दुमका निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते से भिन्न कोई वेतन या भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

डॉ० सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्णय अलग से लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11.5.23

(राजकुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक :– 1 स्था० विविध (राजपत्रित) 06/2023 प०पा०/...628.../राँची, दिनांक–11/05/23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, झारखण्ड, राँची/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 1 स्था० विविध (राजपत्रित) 06/2023 प०पा०/...628.../राँची, दिनांक–11/05/23

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/उपायुक्त, खूँटी/निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, राँची/जिला पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका/उप सचिव (निगरानी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह, अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन से अनुरोध है कि डॉ० सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध करायी जाय।

11.5.23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 1 स्था० विविध (राजपत्रित) 06/2023 प०पा०/...628.../राँची, दिनांक–11/05/23

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.23

सरकार के अवर सचिव

Scanned with OKEN Scanner